

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक: 22/10/2020

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग, संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान / उपक्रम / उद्यम / स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय / अभिकरण / राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।
4. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी।

विषय:- वर्ष 2021 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, उप संस्थानों एवं उप केंद्रों में चलाए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के गहन ऑनलाइन (अल्पकालिक) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में।

महोदय / महोदया,

राजभाषा विभाग के दिनांक 10.09.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18015/6/86-रा.भा.ई में दिए गए निर्देशों के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, उप संस्थानों एवं उप केंद्रों द्वारा मंत्रालयों/ विभागों उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों / लोक उद्यमों / निगमों / स्वायत्त संस्थानों, संगठनों, अभिकरणों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों में नए भर्ती हुए हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के (अल्पकालिक) गहन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मूलतः ये पाठ्यक्रम नए भर्ती हुए अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए हैं, किंतु हिंदी प्रशिक्षण के लिए पहले से सेवारत अप्रशिक्षित अधिकारियों / कर्मचारियों को भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित करने पर, उन्हें भी प्रवेश दिया जाएगा, ताकि संबंधित कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि (2025) तक, प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकें।

राजभाषा विभाग के दिनांक 22.4.2015 के का० ज्ञापन सं० 12012/3/2015-रा०भा० (नीति) में संसदीय राजभाषा समिति के 7वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 16.7 (क) पर पारित राष्ट्रपति के आदेश के अनुपालन में, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक / स्वायत्त निकायों / उद्यमों / अभिकरणों / निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मिकों को सरकारी कामकाज हिंदी में कार्य करने में दक्ष बनाने हेतु, अभ्यास पर आधारित नया पाठ्यक्रम पारंगत लागू किया गया है।

सभी मंत्रालयों / विभागों आदि से अनुरोध है कि (अनुलग्नक-1) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर नामित करना सुनिश्चित करें। कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे।

हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत के लिए प्रशिक्षार्थी की पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार करें।

1. प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	परीक्षा की दिनांक	पात्रता
1	प्रबोध	25 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, मिजो और अंग्रेजी भाषा-भाषी अधिकारी / कर्मचारी, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर तक का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।
2.	प्रवीण	20 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी, सिंधी, गुजराती, मैथिली, संथाली, बोड़ो, डोगरी, नेपाली, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें मिडिल / माध्यमिक स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, सीधे प्रवेश ले सकते हैं।
3.	प्राज्ञ	15 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	यह उन सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए है, जो प्रवीण पास कर चुके हैं या जिनकी मातृभाषा उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी तथा पश्तो है और जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक या दसवीं कक्षा से कम है, प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।
4.	पारंगत	20 पूर्ण कार्य दिवस	प्रशिक्षण का अंतिम दिवस	केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सांविधिक निकायों / उद्यमों / अभिकरणों / निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक, पारंगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे।

विशेष :- वर्ग " घ " से वर्ग " ग " में आए कर्मिकों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देने के संबंध में ।

राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन संख्या 14034/30/2009-रा0भा0(प्र0) दिनांक 06 जनवरी, 2010 के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ग "घ" के कर्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है और इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार, वर्ग "ग" के कर्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है, अतः वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कर्मिकों के लिए, जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ का प्रशिक्षण दिया जाए। इसी अनुक्रम में पात्रतानुसार, अपने कार्यालय के वर्ग "घ" से "ग" में आए कर्मिकों को भी नामित करने का कष्ट करें ।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र :-

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक -II में दिए गए प्रपत्र में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से कम से कम एक महीना पूर्व अवश्य ईमेल द्वारा भिजवा दी जाए ।
- विवरण दोनों भाषाओं में भरना अनिवार्य है।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए, ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो ।
- प्रशिक्षण का समय सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक निर्धारित है ।
- प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कार्यालयों से नामित अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए, नामांकन पुष्टि पत्र संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के सहायक निदेशक द्वारा भेजा जाता है ।

परीक्षा

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ, प्रत्येक प्रशिक्षण के अंतिम कार्य दिवस पर आयोजित की जाती हैं।
- परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रशिक्षार्थी से, पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के समय भरवाया जाता है ।
- नई दिल्ली, चैन्ने, हैदराबाद, कोलकाता, बड़ोदरा एवं बेंगलूरू केंद्रों पर प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पारंगत की परीक्षा परंपरागत आधार पर ली जाएगी ।

परीक्षा शुल्क

- ये सभी पाठ्यक्रम सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए निःशुल्क हैं, किंतु बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए, उनके कार्यालयों को, हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा के लिए रु०100/-प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। प्रशिक्षार्थियों के कार्यालयों को परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली में देय ड्राफ्ट द्वारा करना होगा।

नोट:- पारंगत पाठ्यक्रम की परीक्षा के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं है ।

पाठ्य पुस्तकें

- सभी प्रशिक्षार्थी पाठ्य-पुस्तकें राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in में जा कर प्रिंट ले सकते हैं।

वित्तीय प्रोत्साहन

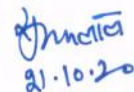
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने तथा हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का, वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।
- हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर, नीचे दी गई तालिका के अनुसार, अधिकारियों /कर्मचारियों को, नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस राशि का भुगतान, प्रशिक्षार्थियों के कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है। पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वित्तीय प्रोत्साहन देने का मामला मंत्रालय के विचाराधीन है।

क्र.सं.		प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
1.	70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु० 1600/-	रु० 1800/-	रु० 2400/-
2.	60% या इससे अधिक, परंतु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु० 800/-	रु० 1200/-	रु० 1600/-
3.	55% या इससे अधिक, परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर	रु० 400/-	रु० 600/-	रु० 800/-

विशेष

- सभी मंत्रालयों / विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को अपने सभी संबद्ध कार्यालयों, इकाइयों / शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने की कृपा करें ।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, परीक्षा में भी सम्मिलित हों, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में (2025) प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- यह भी सुनिश्चित करने की कृपा करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के नामों की पुष्टि प्रशिक्षण केंद्र के सहायक निदेशक द्वारा भेजी जाती है। वे ऑनलाईन प्रशिक्षण से अवश्य जुड़ें।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए संबंधित सहायक निदेशक फोन नं० 011-23063321 एक्स० नं० 2207 मो० नं० 7303848876 / ईमेल chti1237@nic.in पर संपर्क करें।

भवदीया,



(सुमन लाल)

निदेशक प्रभारी

पृष्ठांकन सं. 19011/7/2020-कें.हिं.प्र.सं./ग.भा.प्रशि./ 84-784
प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

दिनांक: 22/10/2020

1. सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
2. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी.भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
4. संयुक्त निदेशक (मु0), हिंदी शिक्षण योजना, 7वाँ तल, पं० दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, गुवाहाटी ।
6. सभी उप निदेशक (कार्यान्वयन), व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ।
7. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, लेवल-6, आर.के. पुरम, सैक्टर-1 नई दिल्ली- 110066
8. सहायक निदेशक (भाषा) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली-110003
9. सहायक निदेशक(टं/आशु०) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल पं० दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल / वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दें।


21.10.20
(सुमन लाल)
निदेशक प्रभारी

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित किए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम की सत्रावधि :-

सत्र प्रथम	गहन पाठ्यक्रम	कार्य दिवस	प्रशिक्षण की अवधि
	प्रबोध	25	04.01.2021 से 08.02.2021 तक
	प्रवीण	20	09.02.2021 से 08.03.2021 तक
	प्राज्ञ	15	09.03.2021 से 30.03.2021 तक

सत्र द्वितीय	गहन पाठ्यक्रम	कार्य दिवस	प्रशिक्षण की अवधि
	प्रबोध	25	03.05.2021 से 08.06.2021 तक
	प्रवीण	20	09.06.2021 से 06.07.2021 तक
	प्राज्ञ	15	07.07.2021 से 28.07.2021 तक

सत्र तृतीय	गहन पाठ्यक्रम	कार्य दिवस	प्रशिक्षण की अवधि
	प्रवीण	20	01.09.2021 से 28.09.2021 तक
	प्राज्ञ	15	29.09.2021 से 21.10.2021 तक
	पारंगत	20	22.10.2021 से 22.11.2021 तक

संपर्क सूत्र :-

1.	2.
निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 7वाँ तल, पं० दीनदयाल अंत्योदय भवन, बी ब्लॉक, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष सं. 011-24361852 फैक्स सं. 011-24361852 ई-मेल- dirchti-dol@nic.in	सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, कक्ष सं० 449-ए, चौथा तल, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110011 दूरभाष सं. 011-23063321 एक्स० नं० 2207 मो० 7303848876 मेल- chti1237@nic.in

प्रशिक्षण सत्र:

कक्षा का नाम : प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत
परीक्षार्थी की स्थिति: नियमित/ गहन

क्र.सं.	विवरण / DETAILS
1.	प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में) NAME OF CANDIDATE (BLOCK LETTERS)
2.	लिंग (पुरुष/स्त्री) GENDER (M/F)
3.	पिता/पति का नाम (हिंदी में) FATHER'S/HUSBAND'S NAME
4.	प्रशिक्षार्थी का पदनाम (हिंदी में) DESIGNATION OF CANDIDATE
5.	मातृ भाषा MOTHER TOUNGE
6.	हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर: दसवीं से अधिक/आठवीं से अधिक दसवीं से कम/ पांचवी से अधिक आठवीं से कम/ पांचवी से कम/ प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ KNOWLGDE OF HINDI ABOVE 10 th / ABOVE 8 th LESS THAN 10 th / ABOVE 5 th LESS THAN 8 th / LESS THAN 5 th /PRABODH/PRAVEEN/PRAGYA
7.	मंत्रालय (हिंदी में) NAME OF MINISTRY (IN ENGLISH)
8.	विभाग का नाम (हिंदी में) NAME OF DEPARTMENT
9.	नामित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम NAME & DESIGNATION OF THE NOMINATING OFFICER
10.	कार्यालय का पूरा पता (हिंदी में): ई मेल/ दूरभाष FULL OFFICE ADDRESS WITH E.MAIL ID/ PHONE
11.	कार्मिक का दूरभाष व ईमेल आई डी: EM EMPLOYEE E.MAIL ID & MOBILE /PHONE
12.	आधार सं०- ADHHAR NO.
13.	परीक्षा शुल्क भरने का विवरण DETAILS (IF DOESN'T BELONG TO A DIREVT CENTRAL GOVT OFFICE/ DEPT.
14.	AMOUNT: DETAILS OF PAYMENT BANK DRAFT NUMBER DATE NAME OF BANK BANK BRANCH

नोट:- विवरण दोनों भाषाओं में भरना अनिवार्य है/ IT IS MANDATORY TO FILL THE FORM IN BILINGUAL
: कृपया अंग्रेजी का विवरण केवल(BLOCK LETTERS) में ही भरें।